तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते एक पक्षीय वादी साक्ष्य दिनांक 12/6/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
12/6/19	पत्रावली पेश हुई। वादी साक्ष्य में 018 R4 सी.पी.सी. का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा बयान कलमबद्ध किए जाकर शामिल मिसल किये और कोई गवाह पेश नहीं करना चाहते है। वादी साक्ष्य समाप्त की गयी। अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 20/6/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
20/6/19	पत्रावली पेश हुई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली में वादीगण की कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से वादपत्र को आगे चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली मिसल सुमार होकर दाखील दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार आर.ए.एस

मुकदमा न0 06/2019

प्रार्थी :–

1. वगताराम पुत्र श्री नैनाराम जाति जाट निवासी राजाबेरी मलवा हाल बालोतरा तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर
2. भोपेन्द्र गोदपुत्र तेजाराम जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. प्रेम पंवार पुत्र हरीरामजी जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर
2. मानाराम पुत्र अचलाराम जाति घांची निवासी द्वितीय रेल्वे क्रोसिंग मानसरोवर होटल के पास, कुम्हारों का चौक बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
3. पारसमल पुत्र अजाराम जाति घांची निवासी खत्रियों के समाज के सामने बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
4. घीसुलाल पुत्र श्री गुमानजी जाति घांची निवासी कुम्हारों का वास आंगडिया वाली गली बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम वादी वकील

आदेश दिनांक :– 20/6/19

प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि वादीगण संख्या –1 का खातेदारी खेत खसरा न0 1027/55 रकबा 18 बिस्वा व खेत खसरा न0 1026/55 रकबा 1 बीघा 00 बिस्वा व वादी संख्या–2 की खेत खसरा न0 1026/55 रकबा 16 विस्वा सरहद मौजा रामसीन पटवार क्षेत्र रामसीन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा मे आयी हुई है। उक्त राजस्व कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं मौके पर भी वादीगण का ही एकमात्र खातेदारी व कब्जासुदा हक है व वादीगण का ही कब्जा काश्त रहा है इनके अलावा अन्य किसी भी काश्तकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है व न ही है। वादीगण ने उक्त आराजी खसरान के तरमीम अनुसार न्यायालय बालोतरा से नेखमबंदी हेतु धारा 111, 128 आर.एल.आर के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं दिनांक 30.7.2018 को वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबंदी/पैमाइश कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये गये थे। उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 29.8.2018 को भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा, हल्का पटवारी रामसीन, हल्का पटवारी बालोतरा द्वितीय व वादीगण व प्रतिवादीगण के रूबरू नापतौल कर मौका फर्द रिपोर्ट बनवाई गई मौके पर उपस्थित पड़ौसियान द्वारा फसल का हवाला देकर बताया की फसल कटते ही नाप अनुसार नेखम अनुसार प्रार्थी खातेदार को कब्जा सुपुर्द कर दिया जाएंगा । मगर प्रतिवादीगण ने फसल काटने के बाद नेखम के अनुसार कायम किये मुटाम के अनुसार कब्जा सुपुर्द करना चाहिए था। मगर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये वादीगण की भूमि में अतिक्रमण को नहीं हटाया एवं न ही नेखम के अनुसार कब्जा सुपुर्द किया जिससे वादीगण के द्वारा अनवान वादपत्र नेखम के अनुसार प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने हेतु व प्रतिवादीगण के द्वारा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

वादीगण की भूमि पर किये गये कब्जे से अतिक्रमण हटाने हेतु अनवान वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है।

उक्त आशय का वाद पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के सम्मन बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहें अतः उनेक विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.05.2019 को ..अमल में लायी गई है। तदोपरान्त वादी के साक्ष्य बयान दिनांक 12.6.2019 को कलमबद्व किये गये एंव वादी द्वारा अपने दस्तावेजात साक्ष्य में ई एक्स 1, ई एक्स 2, ई. .एक्स 3, ई एक्स 4,ई एक्स 5 प्रस्तुत किये जिसका अवलोकन किया गया । हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना व मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया ।

हमने वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, नेखम पैमाईश रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया । बहस पर मनन किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण के दौराने बहस वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकार कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।पत्रावली का व सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह तथ्य साबित है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है अलावा इसके वादीगण की और से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजात साक्ष्य का पत्रावली पर खण्डन नहीं है इस कारण वाद पत्र में वादी कें द्वारा मांगा गया अनुतोष नहीं देने का कोई कारण नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण भूमि खसरा संख्या 1026/55 व 1027/55 सरहद मौजा रामसीन के राजस्व रेकर्ड के रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट है, विधि के अन्तर्गत खातेदार टीनेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा एवं उसके उपयोग उपभोग करने मे किसी पक्ष के द्वारा दखल/हस्तक्षेंप किया जाता है तो खातेदार को अपूर्णीय क्षति होगी। वादीगण का वाद न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर सरहद मौजा रामसीन के खसरा संख्या 1026/55 व 1027/55 मे प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण जिसे नेखमबंदी रिपोर्ट प्रदर्श 5 मे दर्शाया गया है से भी साबित है की प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित है इसलिए उक्त भाग का कब्जा खातेदार वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित कर पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवीदगण वादीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1026/55 व 1027/55 के उपयोग उपभोग काश्त कार्य में स्वंय या कोई उसके एजेन्ट, मित्र, चहेते मजदूर आदि दखलअंदाजी नहीं कर सेढे को तोडफोड कर नुकसान नहीं पहुचाये एवं वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा व निर्माण कार्य इत्यादि नहीं करें । तदानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकने अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

Scanned by CamScanner